कलेक्टर ने की निर्माण कार्यों की समीक्षा

मंडला, देशबन्धु। कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने विभिन्न विभागों के निर्माण कार्यों की विभागवार विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने निर्देशित किया कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखें। कार्यपालन यंत्री, सहायक यंत्री एवं उपयंत्री आदि तकनीकि अमला क्षेत्र का भ्रमण करते हुए कार्यों की सतत मॉनीटरिंग करते हुए आवश्यक सहयोग प्रदान करें। सभी निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराएं। बैठक में सीईओ जिला पंचायत श्रेयांष कूमट, एसी ट्राईबल श्रीमति वंदना गुप्ता, जिला षिक्षा अधिकारी मुन्नी बरकडे सहित संबंधित उपस्थित थे।

कलेक्टर ने निर्देशित किया कि जनजाति कार्य विभाग, डीईओ, डीपीसी तथा लोक निर्माण विभाग के अधिकारी भी अपने विभाग के निर्माण कार्यों की लगातार मॉनीटरिंग करें। कलेक्टर श्री मिश्रा ने नैनपुर में शासकीय हाईस्कूल हीरापुर भवन निर्माण कार्य की समीक्षा करते हुए संबंधित ठेकेदार को ब्लैकसिस्टेड करने के निर्देष दिए। उन्होंने कहा कि पीजी शासकीय हाईस्कूल सिंगारपुर भवन की गुणवत्ता की पुनः जांच कराएं। कलेक्टर श्री मिश्रा ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि माहवार लक्ष्य निर्धारित करते हुए कार्यों में प्रगति लाएं। उन्होंने सीएम राईज स्कूल, अतिरिक्त कक्ष, हाईस्कूल, छात्रावास, विभागीय परिसंपत्ति मद आदि हो रहे निर्माण कार्यों की विस्तार से समीक्षा करते हुए आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने शौचालय निर्माण की समीक्षा करते हुए 30 जून तक निर्माण कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि नवीन स्वीकृत निर्माण कार्यों को प्रारंभ कराएं। उन्होंने नवीन स्वीकृत निर्माण कार्यों के भूमि आवंटन के संबंध में भी आवश्यक निर्देश दिए। कलेक्टर श्री मिश्रा ने कहा कि भवन निर्माण के साथ-साथ रेन वॉटर हारवेस्टिंग एवं रिचार्ज पिट आवष्वयक रूप से बनाएं। उन्होंने शासन के अनुबंध शर्तों के अनुसार निर्धारित समय-सीमा से विलम्बित निर्माण कार्यो वाली निर्माण-फर्म/ ठेकेदारों को नोटिस जारी करने निर्देष दिए। बैठक में नामांकन, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण, साईकिल, छात्रवृत्ति, लेपटॉप वितरण तथा नवीन कार्यों की समीक्षा करते हुए जरूरी निर्देश दिए।

160 लीटर कच्ची शराब जब्त

आबकारी विभाग की अवैध शराब के विरुद्ध कार्यवाही

मण्डला, देशबन्धु। कलेक्टर सोमेश मिश्रा जिला मण्डला के निर्देशन में जिला आबकारी अधिकारी रामजी पांडेय के नेतत्व में मण्डला जिले में मदिरा के अवैध संग्रहण,परिवहन एवं विक्रय के विरुद्ध की गई कार्यवाही लगातार की जा रही है। इसी क्रम में वृत मण्डला में ग्राम पंचायत देवदरा में सहस्त्रधारा के निकट नर्मदा नदी के किनारे मदिरा निर्माण करने वाले अड्डों पर दबिश की कार्यवाही की गई। जिसमें मदिरा का निर्माण करने वाले विभिन्न अड्डों से कच्ची मदिरा 160 लीटर एवं विभिन्न अड्डों से कुल 190 डिब्बों में भरा लाहन पाया। लहान को नदी के अंदर प्लास्टिक के डब्बों में छुपाकर रखा गया था। जिसे पानी से निकालकर विधिवत नष्ट किया गया जिसकी मात्रा लगभग 1900 किलोग्राम है। जप्त मदिरा एवं लहान की अनुमानित कीमत 2,14,000 रुपये है। आबकारी बल को देख आरोपी भाग खड़े हुए। अज्ञात आरोपियो के विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। मदिरा के अवैध निर्माण में लिप्त आरोपियों की तलाश की जा रही है। उक्त कार्यवाही के दौरान आबकारी उपनिरिक्षक गिरिजा धुर्वे, सर्वेश नागवंशी, शैली सैयाम, दुर्जन कुलेश आरक्षक विजय कमलेश, रघुनाथ उइके, महेश पटेल, शंकुतला सैयाम, प्रिया नायडू, कन्हैया उइके, रविन्द्र टेकाम उपस्थित रहे।

सार-समाचार

रायसेन ने सिवनी और जबलपुर ने मंडला की दी मात

मंडला, देशबन्धु। महात्मा गांधी स्टेडियम मंडला में मण्प्रण् फुटबॉल संघ व जिला फुटबॉल संघए मण्डला के तत्वाधान में खेली जा रही दक्षिण क्षेत्र जूनियर बालक अंतर जिला फुटबॉल प्रतियोगिता 2025 के अंतर्गत गुरुवार को पहला मैच सिवनी और रायसेन के बीच खेला गया जिसमें रायसेन ने सिवनी को 4ध्0 से हराया। दूसरा मैच जबलपुर और मंडला के बीच खेला गया। इस मैच में जबलपुर ने मंडला को 1 के मुकाबले 4 गोल से मात दी। सिवनी और रायसेन के बीच खेले गए मैच में रायसेन की तरफसे कनिष्क व शौर्य ने एक गोल किया जबकि विशाल ने दो गोल किए। दूसरा मैच मेजबान मंडला और जबलपुर के बीच खेला गया।

खेल के पहले हाफ में जबलपुर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए लगातार मंडला के गोल पर एक के बाद कई हमले किए। खेल के तीसरे मिनट में ही शौर्य ने बेहतरीन गोलकर जबलपुर को एक शून्य की बढ़त दिला दी। इसके बाद भी जबलपुर में अपने हमले जारी रखें और जल्द खेल के 17वें व 30वें में मिनट में नगेंद्र ने गोल कर जबलपुर को 3ध्0 से आगे कर दिया। हाफ टाइम खत्म होने के बिल्कुल पहले 45वें मिनट में जबलपुर के चिराग ने फ्रि गोल कर जबलपुर का स्कोर 4ध्0 कर दिया। पहले हाफ में जबलपुर का दबदबा कायम रहा। पहले हॉफमें मंडका की टीम बिल्कुल भी लय में नजर नहीं आई लेकिन खेल के सेकंड हाफमें मंडला ने पहले हाफ के मुकाबले काफी बेहतर खेल दिखाया। छोटे.छोटे वन टच पास के जरिए लगातार जबलपुर पर हमले किए। लगातार मूव बनाने के बावजूद उसे सफ्लता मैच के आखिरी मिनट में मिली जब एक फ्री केक को कार्तिक ने शानदार तरीके से गोल में तब्दील कर दिया। इस तरह से इस मुकाबले में जबलपुर ने एक के मुकाबले चार गोलों से मंडला को मात दी। हालांकि इस हार से मंडला के सेमीफाइनल पर पहुंचने पर कोई अड़चन नहीं आई। पहले ही ग्रुप बी कि ये दोनों टीम जबलपुर और मंडला पहले ही सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुकी थी। शुक्रवार लीग ग्राउंड के अंतिम मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मुकाबला बालाघाट और बुरहानपुर के मध्य दोपहर 12 बजे होगा। जबकि दूसरा मुकाबला बैतूल और छिंदवाड़ा के मध्य दोपहर 3 पर खेला जाएगा।

पहले मैच बतौर मुख्य अतिथि शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 2 की प्राचार्य संध्या गुप्ता उपस्थित थी। इनके अलावा शिक्षक संजू वर्माए नंदकिशोर कुमार यादवए खेल एवं युवा कल्याण विभाग के कोच आकाश खत्री व सोना दुबे मौजूद रही। दूसरे मैच के दौरान पार्षद विनय वरदानी, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष सुनील दुबेए हॉकी मंडला के सचिव सैयद कमर अलीए जिला फुटबाल संघ के उपाध्यक्ष डॉण् दिलीप शर्माए सचिव अनिल सोनी,राजेश पाठक, राजेंद्र तिवारी, अनूप वासल, चंद्रेश खरे, सत्यनारायण अग्रवाल, मतीन खान, माझी संघ के जिला अध्यक्ष गुड्डू सिंधिया, जिला टेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष अविनाश पापलर जैनए दिनेश पटेलए सुरेंद्र मिश्रा, राजेंद्र कुमार सिंगौर सहित बड़ी संख्या में खेल प्रेमी उपस्थित थे। इस प्रतियोगिता को सफ्ल बनाने में पंकज उसराठेए मुजवी हसनए देवेंद्र सरोते, बासु सिंधिया, प्रथम चौकसे, कुशल भवेदी सहित विभिन्न खेल प्रेमी उल्लेखीनय भूमिका का निर्वहन कर रहे है।

कलेक्टर ने किया ईवीएम वेयर हाउस का त्रैमासिक निरीक्षण

मंडला, देशबन्धु। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सोमेष मिश्रा द्वारा मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में पॉलिटेक्निक कॉलेज मण्डला स्थित ईवीएम एवं वीवीपेट वेयरहाउस का त्रैमासिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वेयरहाउस की सुरक्षा संबंधी व्यवस्थााओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक रजत सकलेचा, अपर कलेक्टर राजेन्द्र कुमार सिंह, निर्वाचन अधीक्षक अरूण कुषवाहा, सीके तिवारी सहित संबंधित उपस्थित थे।

हस्तशिल्पियों को कौशल हस्तशिल्प प्रशिक्षण एवं उपकरण प्रदाय हेतु बजट आवंटित

मंडला, देशबन्धु। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी ने बताया कि हाथकरघा एवं हस्तशिल्प क्षेत्रों के लिये कौशल एवं तकनीकी विकास योजना 2021 अंतर्गत जिले के हस्तशिल्पियों को कौशल हस्तशिल्प प्रशिक्षण एवं उपकरण प्रदाय किया जाना है। जिसके लिये जिले के शिल्पियों, स्व सहायता समूहों, अशासकीय संस्थाएँ, शासकीय संस्थाओं, सहकारी समितियों, मास्टर उद्यमियों से 25 जून 2025 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। हाथकरघा संचालनालय म.प्र. भोपाल द्वारा वर्ष 2025-26 के प्रथम 4 माह अप्रेल से जुलाई तक के लिये विवरण अनुसार बजट आवंटित किया गया है।

140 करोड़ जनता की उम्मीद हैं राहुल गांधी जो काम पीएम का था, उसे कर रहे हैं वे

मण्डला, देशबन्धु। अगर आपको लगता है कि राहुल गांधी सिर्फ कांग्रेस के नेता हैं तो आप भूल कर रहे हैं! असलियत में राहुल गांधी सिर्फ कांग्रेस के नहीं बल्कि इस देश के असली नेता हैं। जो काम इस देश की सरकार और प्रधानमंत्री को करना चाहिए था, वो काम अकेले राहुल गांधी कर रहे हैं। जनता को भी राहुल गांधी जैसा ही नेता चाहिए. पहलगाम से लेकर पुंछ तक राहुल गांधी जनता के साथ हर सुखदृ दुख में खड़े मिलते हैं। क्योंकि राहुल को जनता की तकलीफ मालूम है।

जाति-धर्म और अमीर-गरीब से परे देश के हर आदमी को अपने परिवार का सदस्य मानते हैं। राहुल गांधी बड़ी से बड़ी ताकत से न कभी डरते हैं, न कभी झुकते हैं, वो सदैव सत्य के मार्ग पर दृढ़ता से चल रहे हैं। यही कारण है कि सरकार को कृषि कानून से लेकर जाति जनगणना के मुद्दे पर सरकार को राहुल गांधी के आगे झुकना पड़ता है। राहुल गांधी जी के भीतर दया है, संवेदना है, दूसरों के दर्द को महसूस करने का साहस है। मन में देश और देश के लोगों के प्रति अथाह प्रेम है। राहुल गांधी का मानना है कि देश की तरक्की तब तक नहीं हो सकती, जब तक इस देश के अंतिम आदमी की तरक्की नहीं हो जाती। मैनें अपनी पूरी लाइफ में राहुल गांधी जैसा नेता नहीं देखा अपनी राजनीति के चक्कर में जिस देश को हिंदू-मुसलमान के आधार पर बुरी तरह बांट दिया है। उस देश के लोगों से राहुल गांधी आपसी गिले-शिकवे को भुलाकर, सबको साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं। देश के हर व्यक्ति को उसके हिस्से का हक, अधिकार और न्याय दिलाने की लंबी और मुश्किल लड़ाई लड़ रहे हैं। ये वही राहुल गांधी हैं जो 5 बजे भोर में ही उठकर हाथरस के पीड़ितों से मिलने चले जाते हैं। पीड़ित परिवारों के साथ मुश्किल समय में ये आदमी कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहता है। राहुल गांधी उस संभल में भी जाते है।

उप चुनाव को लेकर बिछिया नगर पंचायत के भाजपा पदाधिकारियों की बैठक आयोजित

मंडला, देशबन्धु। 19 जून 2025 को भाजपा कार्यालय मंडला में बिछिया नगर पंचायत के वार्ड क्रमांक 13 में होने जा रहे उपचुनाव को लेकर भाजपा जिला अध्यक्ष प्रफुल्ल मिश्रा, जिला पंचायत अध्यक्ष संजय कुशराम, सांसद प्रतिनिधि जयदत्त झा, जिला महामंत्री नीरज मरकाम की उपस्थिति में बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। कार्यकर्ताओं को दायित्व सौंपा गया साथ पार्षद के उप चुनाव को लेकर रणनीति भी तैयार की गई। बैठक के दौरान जिला महामंत्री उमेश ठाकुर, जिला उपाध्यक्ष अशोक नानकानी, मंडल अध्यक्ष बिछिया नीरज भट्ट, बिछिया नगर पंचायत अध्यक्ष रजनी मरावी, बिछिया वार्ड क्रमांक 10 पार्षद शशिकांत श्रीवास्तव, बिछिया वार्ड क्रमांक 03 पार्षद अजय गोस्वामी, भाजपा कार्यकर्ता डॉ विजय आनंद मरावी, सांसद प्रतिनिधि चंद्रकांत झरिया, बिछिया मंडल महामंत्री नरेश सार्वे सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।

कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक ने किया ईवीएम स्टोर रूम का निरीक्षण

मंडला, देशबन्धु। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सोमेष मिश्रा एवं पुलिस अधीक्षक श्री रजत सकचेला ने आयोग द्वारा आगामी नगरीय निकाय एवं पंचायतों के आम निर्वाचन वर्ष 2027 के लिए अतिरिक्त ईव्हीएम भंडारण के संबंध में रानी फूलकुंवर शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज मण्डला के छात्रावास क्रमांक 5 में स्थित स्थानीय निर्वाचन के ईव्हीएम स्टोररूम का निरीक्षण किया। उन्होंने ईव्हीएम स्टोररूम की सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस अवसर पर अपर कलेक्टर राजेन्द्र कुमार सिंह, निर्वाचन अधीक्षक अरूण कुशवाहा, सीके तिवारी सहित संबंधित उपस्थित थे।

बीएलओ के प्रशिक्षण हेतु विधानसभावार प्रशिक्षण स्थल का चयन

मंडला, देशबन्धु। दो जुलाई को बीएलओ का ऑनलाईन प्रशिक्षण हेतु विधानसभावार प्रशिक्षण स्थल का चयन किया गया है। बिछिया विधानसभा के जनपद पंचायत सभाकक्ष घुघरी, बिछिया, मवई तथा निवास के जनपद पंचायत नारायणगंज, निवास एवं मोहगांव तथा मंडला के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय नैनपुर, रानी दुर्गावती शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय मंडला एवं नगर परिषद बम्हनी प्रशिक्षण स्थल निर्धारित किया गया है।

जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति की बैठक

मंडला, देशबन्धु। कलेक्ट्रेट के गोलमेज कक्ष में जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति की त्रैमासिक बैठक का आयोजन किया गया। कलेक्टर सोमेश मिश्रा की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में जिला बाल कल्याण समिति की ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए विस्तार से जानकारी दी गई। जिला बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष गजेन्द्र गुप्ता ने बैठक में बाल गृह, बालिका संरक्षण गृह, एकल अभिभावक वाले बच्चे, मुख्यमंत्री बाल आर्शीवाद योजना से लाभान्वित होने वाले बच्चे, कोविड में मृत माता-पिता के अनाथ बच्चे तथा पॉक्सो पीड़ितों के संबंध में अब तक की गई कार्यवाहियों से अवगत कराया गया। कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने बाल कल्याण समिति द्वारा की जा रही कार्यवाहियों के लिए समिति को प्रोत्साहित किया। साथ ही लम्बित प्रकरणों को यथाशीघ्र निपटाने के निर्देश दिए। बैठक में पुलिस अधीक्षक रजत सकलेचा, जिला शिक्षा अधिकारी श्रीमती मुन्नी वरकड़े, सहायक संचालक रोहित बड़कुल, एसडीओपी सिवनी नम्रता दिवाकर, सीएमओ नगरपालिका गजानंद नाफड़े सहित जिला बाल कल्याण समिति के सदस्य उपस्थित रहे।

मंडला में साहूकारों पर नकेल, जिला प्रशासन ने जारी किया आदेश

मंडला, देशबन्धु। मण्डला जिले में आदिवासी और विशेष पिछड़ी जनजाति (बैगा) बहुल क्षेत्रों में साहूकारों द्वारा मनमानी ब्याज दरों पर ऋण देकर ग्रामीणों के शोषण के बढ़ते मामलों के बाद, जिला प्रशासन ने जनसुनवाई और जनशिकायत के माध्यम से सामने आ रही इन समस्याओं पर संवेदनशीलता दिखाते हुए मध्यप्रदेश अनुसूचित जनजाति क्षेत्र साहूकारी (विनियमन) विनियम, 1972 (संशोधित 2021) के प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं।

अनियमित साहूकारी पर लगेगी रोक- कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सोमेश मिश्रा द्वारा जारी आदेश के अनुसार मण्डला जिले में मध्यप्रदेश अनुसूचित जनजाति क्षेत्र साहूकारी (विनियमन) विनियम, 1972 लागू है। इस विनियम की धारा 03 में साहूकारों के पंजीकरण और पंजीकरण प्रमाण-पत्र से संबंधित स्पष्ट प्रावधान हैं। इसके तहत साहूकारी का व्यवसाय करने वाले या करने का इरादा रखने वाले किसी भी व्यक्ति को संबंधित क्षेत्र के पंजीकरण प्राधिकारी के पास अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य है। पंजीकरण के बाद प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा।

उच्च ब्याज दरों पर शोषण की शिकायतें और पुलिस की कार्रवाई- जिले के विभिन्न क्षेत्रों विशेषकर आदिवासी बहुल और विशेष पिछड़ी जनजाति (बैगा) बहुल गांवों में, साहूकारों द्वारा अत्यधिक ब्याज दरों पर साहूकारी का व्यवसाय करने की लगातार शिकायतें मिल रही हैं। पुलिस विभाग भी ऐसे साहूकारों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। इन गतिविधियों से यह स्पष्ट होता है कि साहूकार अनियमित और अनधिकृत रूप से ग्रामीण आदिवासी और विशेष पिछड़ी जनजातियों को ऊँची ब्याज दरों पर ऋण प्रदान कर रहे हैं, जिसके बदले में उनकी बहुमूल्य वस्तुएं या भूमि गिरवी रखी जा रही है। इसका परिणाम यह है कि ग्रामीण परिवार लंबे समय से ऋण के बोझ से पीड़ित हैं, जिससे न केवल उनकी आर्थिक क्षति हो रही है, बल्कि उनका समग्र विकास भी बाधित हो रहा है।

नियमों का उल्लंघन दंडनीय अपराध- जिला प्रशासन ने विनियम के प्रावधानों का पूरी तरह से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। विनियम की धारा 07 के अनुसार जहां ऋण प्रतिभूत (सुरक्षित) हो वहाँ अधिकतम 6 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज और जहाँ ऋण प्रतिभूत न हो वहाँ अधिकतम 12 प्रतिशत साधारण ब्याज की दर निर्धारित की गई है। धारा 19 के अनुसार निरीक्षक के लिखित प्रतिवेदन के आधार पर इन विनियमों/नियमों के उल्लंघन पर न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया जाएगा। मध्यप्रदेश अनुसूचित जनजाति साहूकारी नियम 1980 के नियम 16 के अनुसार विकासखण्ड सहायक, क्षेत्र संगठक, वृत्त संगठक, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, उपखण्डीय अधिकारी आदि को निरीक्षक के रूप में नामित किया गया है।

उल्लंघन पर दंड का प्रावधान- विनियम की उल्लिखित धाराओं के उल्लंघन की स्थिति में यह एक दंडनीय अपराध होगा, जिसके लिए नियमों के अधीन दंड का प्रावधान है। धारा 21 के अनुसार, प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पंजीकरण निलंबित अथवा निरस्त किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त बिना पंजीकरण साहूकारी व्यवसाय करने पर अधिकतम 2 वर्ष की कारावास अथवा एक लाख रूपए के जुर्माने अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है (संशोधन, 2021)।

जनहित में कड़ाई से लागू होगा आदेश- मध्यप्रदेश अनुसूचित जनजाति क्षेत्र साहूकारी (विनियमन) विनियम, 1972 (संशोधित 2021) के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी क्षेत्र में साहूकारी व्यवसाय तभी कर सकता है, जब उसके पास संबंधित क्षेत्र के लिए वैध पंजीकरण प्रमाण-पत्र हो। उल्लंघन की स्थिति में विनियम की कंडिका 24 के अनुसार 2 वर्ष की सजा अथवा एक लाख रूपए जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान है। यह आदेश मण्डला जिले के संपूर्ण क्षेत्र में लागू होगा और इसे मध्यप्रदेश जनजाति क्षेत्र साहूकारी विनियम, 1972 (संशोधित 2021) के प्रावधानों के अनुपालन तथा जनसामान्य के हित में सख्ती से लागू किए जाने के उद्देश्य से जारी किया गया है।